राजस्थान सरकार

परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ 7(558) परि/नियम/मु./2021/स्क्रेपिंग पॉलिसी/ / 10596 जयपुर, दिनांक- 13-7-2023

कार्यालय आदेश 17 /2023

विषय- कार्यालय आदेश संख्या 13/2022 दिनांक 30.06.2022 में संशोधन बाबत।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23.09.2021 को अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर 653 (ई) जारी कर पर्यावरण सुरक्षा के लिये प्रदूषणकारी वाहनों को नष्ट करने एवं सडक पर चलने में असक्षम वाहनों को कम करने के उददेश्य से भारत सरकार द्वारा वाहन स्क्रैपेज नीति शुरू की गई। इन नियमों को राजस्थान राज्य में लागू करने के लिए कार्यालय आदेश 13/2022 दिनांक 30.06.2022 के द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये। इन दिशानिर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किये जाते है-

(1) बिन्दु संख्या 8 में से 'औद्योगिक क्षेत्र' शब्द को विलोपित किया जाता है।

(2) दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या 8 को निम्नानुसार पढा जावे-

'आवेदक के पास एल श्रेणी के वाहन वर्ग की स्क्रेपिंग/रिसाईकलिंग हेतु न्यूनतम 01 एकड तथा एम, एन व अन्य श्रेणी के वाहनों की स्क्रेपिंग/रिसाईकलिंग हेतु न्यूनतम 02 एकड की भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होकर औरेज श्रेणी के उद्योग उपयोग हेतु उपयुक्त होनी चाहिये तथा वाहनों के मुख्य मार्ग से स्क्रेपिंग यार्ड में प्रवेश व परिसर में निर्बाध संचरण हेतु मार्ग की चौडाई न्यूनतम 18 मीटर होनी चाहिए।'

(3) बिन्दु संख्या 12 के पश्चात 12 A निम्नानुसार जोडा जायेगा-

मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम 2021 के नियम 5(h) में यथा उल्लेखित प्लांट ले-आउट व बिल्डिंग प्लान को इस हेतु अधिकृत संस्था द्वारा प्रचलित विधि के अनुरूप अनुमोदित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

(4) बिन्दु संख्या 13 के उपरान्त बिन्दु संख्या 14 निम्नानुसार जोडा जायेगा-

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा आवेदक को निम्न शर्तो -

(i) मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के नियम 5(h) में वर्णित ऑरेन्ज श्रेणी में आवश्यक भूमि उपलब्धता की सुनिश्चितता एवं प्रमाण की आवश्यकता ।

(ii) सक्षम अधिकारी से प्लांट लेआउट एवं बिल्डिंग प्लॉन का अनुमोदन करवाने की आवश्यकता।

(iii) फेक्ट्री लाईसेंस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता।

(iv) फेक्ट्री कम्प्लीशन सटिर्फिकेट प्रस्तुत करने की आवश्यकता।

(v) श्रम अधिनियम व कारखाना एवं बॉयलर अधिनियम के तहत आवश्यक अनुमति/अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता।

में से किसी एक शर्त अथवा एक से अधिक शर्तो की पूर्ति छः माह की अवधि में करने की शर्त पर भी आवेदक को फॉर्म-1ए में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सुविधा जारी करने हेतु अंतरिम (Provisional) अनुमोदन जारी किया जा सकेगा। छः माह पश्चात उपरोक्त दस्तावेज पूर्ण कर प्रस्तुत करने पर ही अंतिम (final) अनुमोदन जारी किया जायेगा।

(5) बिन्दु संख्या 15 निम्नानुसार जोडा जाएगा-

रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सुविधा के आवेदको पर राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2019 की धारा 5 में उल्लेखित प्रावधान भी लागू रहेगें।

(कन्हैया लाल स्वामी)

आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ 7(558) परि/नियम/मु./2021/स्क्रेपिंग पॉलिसी/10597-603 जयपुर, दिनांक- 13-7-23

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर ।
5. समस्त प्रादेशिक/अति.प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ।
6. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को अपलोड करने हेतु ।
7. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग